# नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व
# नीति

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड
मुख्यालय, 15/1, कब्बन रोड, बेंगलूर-560001

**अनुक्रमणिका**


| | | |
|---|---|---|
| | | पृष्ठ सं. |
| 1. | नीतिगत विवरण | 1 |
| 2. | उद्देश्य | 2 |
| 3. | विस्तार | 2 |
| 4. | परिभाषा | 2 |
| 5. | बजट एवं अनुमोदन | 3 |
| 6. | कार्यान्वयन एवं समीक्षा प्रक्रिया | 3 |
| 7. | संपोषणीयता रिपोर्ट | 7 |
| 8. | प्रभाव निर्धारण एवं मूल्यांकन | 8 |

**परिशिष्ट क- कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अनुसूची VII**

**परिशिष्ट ख- नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर वार्षिक रिपोर्ट का आरूप बोर्ड रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले कार्यकलाप**

# नीतिगत विवरण

वांतरिक्ष उद्योग में महत्त्वपूर्ण वैश्विक भागीदार बनने की हमारी दूरदृष्टि को पूरा करने और आर्थिक स्थिति एवं पर्यावरण से संबंधित समस्याओं में सुधार करने तथा नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व की पहलों के माध्यम से समाज के कल्याण हेतु हम हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में प्रयासरत हैं ।

1. पारस्परिक मूल्य के मार्ग को अपनाते हुए समस्त पणधारियों के हितों की पहचान करते हुए सामाजिक रूप से उत्तरदायित्व एवं सतत रूप में एचएएल अपने नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं को प्रचालित करेगा ।
2. क्षमता निर्माण, जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करके विभिन्न स्तरों पर एचएएल नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व और संपोषणीयता की अवधारणा को सुदृढ़ करेगा ।
3. हम अपने संगठन में नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संपोषणीयता के संचालन के लिए पर्याप्त संसाधन आबंटित करने एवं उपयुक्त संगठन ढांचे को स्थापित करने तथा वार्षिक आधार पर अपने निष्पादन विषयक रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु वचनबद्ध हैं ।

1. **उद्देश्यः**

नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व की परियोजनाओं के उद्देश्य निम्नलिखित होंगेः

i) आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण रूप से सतत रूप में पारदर्शिता एवं नैतिक ढंग से नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलापों को चलाना ।

ii) नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संपोषणीयता के सिद्धांत के साथ कंपनी के मुख्य मूल्यों को एकीकृत करना ।

iii) सभी स्तर के कर्मचारियों में नैगम सामाजिक दायित्व और संपोषणीयता की भावना को शामिल करना और कंपनी के समस्त कार्यकलापों, प्रक्रियाओं, प्रचालनों और लेन-देन को इसमें समाहित करना ।

2. **विस्तारः**

2.1 एचएएल नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व और संपोषणीयता की योजनाओं एवं रणनीतियों को कारोबार की योजना एवं रणनीतियों के साथ एकीकृत करेगा । कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के अंतर्गत **(परिशिष्ट-क)** जैसा उचित हो, परियोजनाओं / कार्यकलापों को अंगीकार किया जाएगा और तदनुसार कंपनी अधिनियम 2013 में किन्हीं परिवर्तनों / अद्यतन मामलों को अपनाया जाएगा । अनुसूची VII के अंतर्गत कंपनी अधिनियम 2013 की परिधि में न आने वाले कार्यकलापों / अन्य परियोजनाओं को नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजना/ कार्यकलाप के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा तथा इस बाबत खर्च की गई धनराशि को कंपनी के नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व में व्यय के रूप में नहीं गिना जाएगा ।

3. **परिभाषाः**

3.1 'नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व' से अभिप्राय और इसके निहितार्थ परंतु जो निम्नलिखित तक सीमित नहीं हैः-

(i) वे परियोजनाएँ और कार्यक्रम जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट कार्य-कलापों से संबंधित हैः अथवा

(ii) मंडल की नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व की संस्तुतियों के अनुसरण में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अंगीकृत कार्य-कलापों से संबंधित परियोजनाएँ या कार्यक्रम, बशर्ते कि इन परियोजनाओं में उन विषयों को शामिल किया जाएगा जिन्हें कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में अंकित किया गया ।

3.2 'नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति' से अभिप्राय मंडल की नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति से है ।

3.3 'नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति' ऐसे कार्यकलापों और इस बाबत व्यय से संबंधित है जिसे कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट करके कंपनी द्वारा अंगीकार किया जाएगा, परंतु इसमें कंपनी के कारोबार की सामान्य प्रक्रिया के अनुसरण में प्रारंभ किए गए कार्यकलापों को शामिल नहीं किया जाएगा ।

4. **बजट एवं अनुमोदनः**

4.1 नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व की परियोजनाओं / कार्यकलापों के लिए वर्ष की बाबत बजट आबंटन कंपनी के लाभ पर निर्भर होगा । तीन निकटवर्ती वित्त वर्ष के दौरान कंपनी के औसत निवल लाभ की 2 प्रतिशत धनराशि नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व की परियोजनाओं के लिए आबंटित की जाएगी ।

4.2 प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान योजित नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं / कार्यकलापों के लिए आबंटित बजट को उसी वर्ष में खर्च किए जाने की आशा की जाती है । यदि कंपनी इस धनराशि को खर्च कर पाने में असफल हो जाती है तो मंडल अपनी रिपोर्ट में धनराशि खर्च न किए जाने से संबंधित कारणों को विनिर्दिष्ट करेगा ।

4.3 नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व की परियोजनाओं / कार्यकलापों के लिए निर्धारित धनराशि को खर्च करने हेतु कंपनी अपने प्रभागों / कांप्लेक्सों के आस-पास के स्थानीय क्षेत्रों को वरीयता देगी जहॉ इसका प्रचालन होता है ।

4.4 कंपनी के कर्मचारियों की नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व क्षमता के निर्माण तथा स्थापित और उत्तम रिकार्ड वाले संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वयन करने वाले अभिकरणों सहित वार्षिक नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व की 5 प्रतिशत की धनराशि का उपयोग किया जा सकता है बशर्तो कि एक वित्त वर्ष में यह नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व के व्यय के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

4.5 मंडल की नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संस्तुति के आधार पर कंपनी की नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुमोदन हेतु मंडल सक्षम प्राधिकारी है ।

4.6 वित्त वर्ष के प्रारंभ में मुख्यालय द्वारा नैगम सामाजिक दायित्व की परियोजनाओं / कार्यकलापों के लिए बजट मंजूर किया जाएगा । कांप्लेक्सों / प्रभागों द्वारा अधिकारों के प्रत्यायोजन के अनुसार परियोजनाओं / कार्यकलापों को कार्यान्वित किया जाएगा ।

5. **कार्यान्वयन एवं समीक्षा प्रक्रियाः**

5.1 नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति द्वारा अनुमोदित नैगम सामाजिक दायित्व की परियोजनाओं / कार्यक्रमों को पंजीकृत ट्रस्ट अथवा किसी पंजीकृत सोसाइटी या कंपनी द्वारा स्थापित कंपनी की माध्यम से प्रारंभ किया जा सकता है, बशर्तेः

क) यदि कोई प्रभाग किसी बाहरी अभिकरण/ गैर-सरकारी संगठन के माध्यम से नैगम सामाजिक दायित्व की परियोजनाओं को कार्यान्वित करना चाहता है, तो इसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रकार कि परियोजनाओं / कार्यक्रमों को स्वीकार करने में उस बाहरी अभिकरण / गैर-सरकारी संगठन का स्थापित तीन वर्ष का पिछला रिकार्ड अच्छा होना चाहिए ।

ख)	इन अभिकरणों (जैसे बाहरी अभिकरण/ गैर-सरकारी संगठन/ पंजीकृत ट्रस्ट /पंजीकृत सोसाइटी) के माध्यम से अंगीकार किए जाने वाले नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व वाली परियोजनाओं /कार्यकलापों तथा ऐसी परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों पर निधियों के उपयोग के तौर-तरीकों और अनुश्रवण तथा रिपोर्टिंग पद्धति के विषय में प्रभाग को विनिर्दिष्ट करना चाहिए ।

5.2	सामान्य कारोबार के अनुसरण में अंगीकार किए गए कार्यकलापों को छोड़कर, वर्ष 2014-15 के लिए नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व की परियोजनाओं / कार्यकलापों को स्वयं कंपनी द्वारा (आंतरिक रूप से) अंगीकार किया जाएगा और नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व की परियोजनाओं और कार्यकलापों को क्रियान्वित करने हेतु किसी समर्पित 'ट्रस्ट' को गठित किए जाने तक यह प्रणाली जारी रखी जाएगी ।

5.3	सामाजिक/ आर्थिक / पर्यावरण विकास के स्तर तक प्रत्याशित परिणाम पाने के लिए नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत परियोजनाओं /कार्यकलापों की पहचान एवं कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित प्रतिक्रिया के निर्धारण के लिए प्रभाग आधारभूत सर्वेक्षण कर सकते हैं । इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण संबंधी आवश्यकताओं के निर्धारण के लिए ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभा एवं पंचायती राज जैसी संस्थाओं का महत्त्व है और ये विश्वसनीय स्रोत हैं । इसलिए, नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व की परियोजनाओं / कार्यकलापों के लिए योजना बनाने में जहॉ तक संभव हो इनसे परामर्श किया जाना चाहिए ।

5.4	आधारभूत सर्वेक्षण करना कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं है; तदनुसार प्रभाग/ कांप्लेक्स आवश्यकता निर्धारण के अध्ययन हेतु अपने आंतरिक संसाधनों और सुविज्ञता के प्रयोग सहित अन्य पद्धतियों का विकल्प चुन सकते हैं । तथापि, कांप्लेक्स / प्रभाग अनिवार्य रूप से पणधारियों की आवश्यकताओं के यथोचित तथ्यात्मक निर्धारण किए जाने के लिए विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा किसी आधिकारिक दूसरे स्रोतों से इस संबंध में विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं । इस प्रकार कार्यकलाप के समाप्त होने पर यह सामाजिक / आर्थिक / पर्यावरण प्रभाव का उचित अनुमान लगा पाने में भी सहायक होगा ।

5.5	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII की परिधि में आने वाली परियोजनाओं / कार्यकलापों का प्रभाग चयन करेंगे । नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संस्तुति पर मंडल द्वारा अनुमोदित नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के कार्यकलापों से संबंधित परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए कार्पस में अंशदान को शामिल करते हुए नैगम सामाजिक दायित्व के व्यय में समस्त व्यय को शामिल किया जाएगा, परंतु इसमें ऐसी मद से संबंधित किसी व्यय को शामिल नहीं किया जाएगा जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में उल्लिखित कार्यकलापों के अनुरूप अथवा उसके अनुसार नहीं है ।

5.6 ऐसी परियोजनाओं / कार्यकलापों, जिन्हें नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत चुना गया हो, जहॉ तक संभव हो परियोजना मोड़ में क्रियान्वित किया जाना चाहिए जिन्हें सुनियोजित प्रक्रियाओं के जरिए पूर्वानुमानित संसाधनों की मात्रा को एकत्र करने एवं आबंटित बजट के भीतर और निर्धारित समय-सीमा के साथ अग्रिम रूप में निष्पादन के चरणों में तैयार किया गया हो ।

5.7 नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व की परियोजनाओं के अंतर्गत पहचाने गए स्थानों में सामाजिक आर्थिक और पर्यावरण की स्थिति की दृष्टि से अधिकतम लाभ और प्रभाव पाने की दृष्टि से प्रभाग दीर्घकालिक अवधि वाली परियोजनाओं को अंगीकार कर सकते हैं । सरल कार्यान्वयन के लिए दीर्घकालिक नैगम सामाजिक दायित्व की योजनाओं को मध्यम अवधि और दीर्घकालिक अवधि में विभाजित किया जाना चाहिए ।

5.8 प्रभागों द्वारा प्रस्तावित समस्त नैगम सामाजिक दायित्व परियोजनाओं / कार्यकलापों को अनुमोदन हेतु मंडल की नैगम सामाजिक दायित्व समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा । नैगम सामाजिक उत्त्रदायित्व एवं सतत विकास समिति की संस्तुति पर आधारित, नैगम सामाजिक दायित्व की परियोजनाओं / कार्यकलापों को नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के साथ इसे मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा । प्रभागों / कार्यालयों द्वारा मंडल से अनुमोदित नैगम सामाजिक दायित्व की परियोजनाओं / कार्यकलापों को प्रारंभ किया जाएगा । तथा उस वित्त वर्ष के लिए कंपनी के नैगम सामाजिक दायित्व बजट के अंतर्गत व्यय पर विचार किया जाएगा । वित्त वर्ष के प्रारंभ में कंपनी अपनी वेबसाइट पर अनुमोदित नैगम सामाजिक दायित्व की नीति, बजट और नैगम सामाजिक दायित्व परियोजना एवं कार्यकलापों को प्रकाशित करेगी तथा इसके साथ-साथ अनुपालन / उत्तरदायित्व संबंधी रिपोर्ट तथा वित्त वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा प्राप्त लक्ष्यों को भी वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा ।

5.9 नैगम सामाजिक दायित्व की परियोजनाओं का कार्यान्वयन करते समय राज्य के नियमों / विनियमों / विधियों का अनुपालन करना अनिवार्य है । तथापि, नैगम सामाजिक दायित्व के वित्तीय घटकों में ऐसे अनुपालन / सांविधिक उपायों पर किए गए व्ययों को शामिल नहीं किया जाएगा और इसे मुख्य कारोबार संबंधी खर्च / व्यय के रूप में माना जाएगा ।

5.10 नैगम सामाजिक दायित्व की ऐसी परियोजनाओं / कार्यकलापों को नैगम सामाजिक दायित्व की परियोजना / कार्यकलाप के रूप में नहीं माना जाएगा जो केवल कंपनी के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए लाभप्रद हों ।

5.11 नैगम सामाजिक दायित्व की परियोजनाओं / कार्यक्रमों / कार्यकलापों से उत्पन्न अधिशेष कंपनी के व्यापारिक लाभ के भाग नहीं होंगे ।

5.12 किसी राजनैतिक दल को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से दी गई धनराशि के अंशदान को मान्य नैगम सामाजिक दायित्व कार्यकलाप के रूप में नहीं माना जाएगा ।

5.13 प्रभाग / कांप्लेक्स ऐसी परियोजनाओं / कार्यकलापों को प्रारंभ नहीं करेंगे जिन्हें सरकार द्‌वारा क्रियान्वित किया जाना है और / या जिसके लिए केंद्र / राज्य सरकार की योजनाओं को मंजूरी दी गई है क्योंकि इससे केवल अनावश्यक पुनरावृत्ति होगी ।

5.14 कंपनी परियोजनाओं / कार्यक्रमों / कार्यकलापों को अंगीकार करने के लिए अन्य कंपनियों के साथ इस प्रकार सहयोग कर सकती है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अधिसूचित नैगम सामाजिक दायित्व के नियमों के अनुसार इस प्रकार की परियोजनाओं / कार्यकलापों के संबंध में पृथक रूप से रिपोर्ट करने हेतु संबंधित कंपनियों की नैगम सामाजिक दायित्व समितियॉ उस स्थिति में हों ।

5.15 कंपनी में मुख्यालय स्तर पर नैगम सामाजिक दायित्व की परियोजनाओं / कार्यकलापों को संचालित करने के लिए दो-स्तरीय संगठनात्मक ढांचे का गठन किया गया है ।

5.16 प्रथम, इसके कार्यान्वयन की देख-रेख तथा नैगम सामाजिक दायित्व की परियोजनाओं / कार्यकलापों पर निगरानी रखने हेतु स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में मंडल स्तर की समिति है । इस समिति में स्वतंत्र निदेशक, प्रबंध निदेशक (मिग), निदेशक(मा.सं.), प्रबंध निदेशक(बैंगलूर कांप्लेक्स), महाप्रबंधक(वित्त) और सदस्य-सचिव के रूप में महाप्रबंधक(मा.सं.) हैं । निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति में कंपनी द्‌वारा उन कार्यकलापों को शामिल किया गया है जो अधिनियम की अनुसूची VII में आने वाले कार्यकलापों से संबंधित हैं ।

5.17 द्‌वितीय, यह समिति महाप्रबंधक(मा.सं.) सह मुख्य अधिकारी की अध्यक्षता में मंडल स्तर की समिति से एक रैंक नीचे है । पदेन सदस्यों के रूप में कांप्लेक्स के मानव संसाधन प्रमुख महाप्रबंधक(मा.सं.)-मुख्यालय की सहायता करेंगे तथा उप महाप्रबंधक(मा.सं.)-मुख्यालय, नैगम सामाजिक दायित्व सदस्य-सचिव के रूप में होंगे । त्रैमासिक आधार पर इस समिति की बैठक होगी । समिति के समस्त सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी और सदस्य के स्थान पर किसी अन्य को बैठक में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

5.18 प्रत्येक प्रभाग में नैगम सामाजिक दायित्व कार्यान्वयन समिति गठित की जानी चाहिए । प्रभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी (महाप्रबंधक/ अपर महाप्रबंधक) को नैगम सामाजिक दायित्व कार्यान्वयन समिति के प्रमुख के रूप में नामित किया जाएगा जो उस प्रभाग के लिए नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजना / कार्यकलापों हेतु योजना बनाने कार्यान्वयन करने एवं निगरानी करने के लिए उत्तरदायी होगा और उसे मानव संसाधन, वित्त, विपणन, सिविल और आईएमएम विभागों के अधिकारियों द्‌वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा । नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व की परियोजनाओं / कार्यकलापों के संबंध में उस प्रभाग के मानव संसाधन प्रमुख मुख्य बिंदु / एकल बिंदु के रूप में संपर्क का कार्य करेंगे ।

5.19 नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व की परियोजनाओं / कार्यकलापों के महत्त्व को देखते हुए, मानव संसाधन प्रमुख और प्रभाग के प्रमुख इस पर यथोचित ध्यान देंगे और प्रभागीय प्रबंध समिति की बैठकों के दौरान नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व की परियोजनाओं / कार्यकलापों के तौर-तरीकों और प्रगति पर चर्चा करेंगे ।

5.20 मंडल स्तर की समिति को छोड़कर, इसकी योजना, कार्यान्वयन और नैगम सामाजिक दायित्व / कार्यक्रमों की निगरानी से जुड़े प्रत्येक कर्मचारी के निष्पादन को वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन में 5-10 अंक (100 में) जोड़ा जाएगा ताकि कार्य में और अधिक स्पष्टता और जिम्मेदारी का बोध हो ।

5.21 नैगम सामाजिक दायित्व के कार्यकलापों के कार्यान्वयन में प्रगति के संबंध में नामोद्दिष्ट मुख्य अधिकारी नियमित रूप से मुख्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसे तत्पश्चात स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व की मंडल समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।

5.22 मंडल की नैगम सामाजिक दायित्व समिति समय-समय पर यह रिपोर्ट निदेशक मंडल के समक्ष सूचनार्थ, विचारार्थ और आवश्यक निदेशों हेतु प्रस्तुत करेगी ।

5.23 मंडल की नैगम सामाजिक दायित्व संबंधी समिति की संस्तुतियों पर विचार करने के बाद कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी के लिए नैगम सामाजिक दायित्व नीति को अनुमोदन प्रदान करेगा और अपनी मंडल रिपोर्ट में इस प्रकार की नीति की विषय-वस्तु को प्रकट करेगा और **परिशिष्ट ख** में विनिर्दिष्ट विवरणों के अनुसार इसे कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा ।

5.24 किसी भी परियोजना / कार्यकलाप की सफलता और निरंतरता की दृष्टि से लाभार्थियों से नियमित एवं सतत प्रतिक्रिया प्राप्त करना बहुत ही महत्त्वपूर्ण होता है । इस संबंध में नैगम सामाजिक दायित्व के अंतर्गत परियोजनाओं / कार्यकलापों के कार्यान्वयन से पूर्व और पश्चात लिखित रूप में / प्रलेखी साक्ष्य / फोटो / वीडियो के रूप में प्रभागों / कांप्लेक्सों द्वारा नियमित प्रतिक्रिया प्राप्त करना अपेक्षित है । अतः परियोजना के अंत में इसके प्रभाव के निर्धारण के दौरान यह सूचना सहायक होगी ।

6. **संपोषणीयता रिपोर्टः**

6.1 संपोषणीयता रिपोर्ट और प्रकटीकरण का अनुपालन किया जा सकता है जिसमें कंपनी वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त मार्गनिर्देशों, वैश्विक रिपोर्टिंग पहल के अनुसार आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण के क्षेत्रों में अपने निष्पादन के विषय में रिपोर्ट करेगी ।

7. **प्रभाव का निर्धारण एवं मूल्यांकनः**

7.1 नैगम सामाजिक दायित्व के अंतर्गत संपन्न किए गए कार्य/परियोजना की सफलता अथवा असफलता की मात्रा के निर्धारण के लिए प्रभाव निर्धारण अध्ययन किया जाना अपेक्षित है ।

7.2 वर्ष के दौरान नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत प्रारंभ की गई समस्त परियोजनाओं / कार्यकलापों का मूल्यांकन उद्देश्य और पारदर्शिता की दृष्टि से किसी बाहरी विशेषज्ञ अभिकरण द्वारा किया जाए ।

7.3 सरकार के मंत्रालयों / विभागों, योजना आयोग, स्वैच्छिक संगठनों अथवा राष्ट्रीय / क्षेत्रीय नैगम सामाजिक दायित्व केंद्रों द्वारा रखी गई सूचियों से पर्याप्त अनुभव / सुविज्ञतायुक्त बाहरी विशिष्ट अभिकरणों / गैर-सरकारी संगठनों की सेवाएँ ली जा सकती हैं ।

7.4 निम्नलिखित सूचना की दृष्टि से बाहरी अभिकरण परियोजनाओं / कार्यकलापों का मूल्यांकन करेगाः

- कार्यकलाप / परियोजना के चयन की आवश्यकता (आधारभूत सर्वेक्षण करना)
- कार्यकलाप/ परियोजना के लिए उद्देश्यों की पूर्ति
- कार्यकलाप/ परियोजना के लाभार्थी
- बजट का उपयोग
- कार्यान्वयन के पहलू
- समय पर लक्ष्यों को पूरा करना
- सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण की दृष्टि से कार्यकलाप / परियोजना का प्रभाव

**<u>परिशिष्ट क</u>**

अनुसूची VII
(कृपया धारा 135 देखें)

कार्यकलाप, जिन्हें कंपनियों द्वारा अपनी नैगम सामाजिक दायित्व नीतियों संबंधी कार्यकलापों में शामिल किया जाए -

i) भूख, गरीबी, कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल का प्रोत्साहन एवं स्वच्छता को प्रोत्साहित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोश में योगदान सहित स्वच्छता एवं सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना ।

ii) विशेष शिक्षा को प्रोत्साहित करते हुए शिक्षा का विकास एवं बच्चे, स्त्री, वृद्ध एवं शारीरक रूप से अक्षम लोगों में व्यावसायिक कौशल को बढ़ाते हुए रोजगार प्रदान करना एवं आजीविका विकास परियोजनाएँ

iii) लिंग समानता को प्रोत्साहित करना, नारी को सशक्त बनाना, औरतों एवं अनाथ के लिए आवास एवं हास्टल की व्यवस्था; वृद्धाश्रम, डे-केयर सेंटर एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी अन्य सुविधाएँ, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग द्वारा सामने किए जानेवाले असमानताओं को कम करने के लिए उपाय;

iv) पर्यावरण सतत विकास, पारिस्थितिकी संतुलन, फ्लोरा एवं फौना की सुरक्षा, जंतु कल्याण, एग्रोफारेस्ट्री, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, मृदा की क्षमता की रक्षा करना, गंगा नदी के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए क्लीन गंगा फंड में योगदान सहित वायु एवं जल का संरक्षण को सुनिश्चित करना;

v) ऐतिहासिक महत्त्व एवं कला कार्य संबंधी बिल्डिंग एवं स्थानों के पुनरुद्धार सहित राष्ट्रीय परंपरा, कला एवं संस्कृति का संरक्षण ; सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना ; पारंपरिक कलाएँ एवं हस्तशिल्प कार्यों का प्रोत्साहन एवं विकास ;

vi) पूर्व सशस्त्र सेनाएँ, वार विंडोज एवं अपने आश्रितों के लाभ हेतु उपाय ;

vii) ग्रामीण खेलकूद राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल एवं ओलंपिक खेलकूद के प्रोत्साहन हेतु प्रशिक्षण ;

viii) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत निधि अथवा सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा की गई अन्य कोई निधि तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग एवं स्त्री आदि के लिए राहत एवं कल्याण में योगदान

ix) अकादमी संस्थानों में स्थित तकनीकी इनक्यूबेटर को प्रदत्त योगदान एवं निधि, जो केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया है ।

x) ग्रामीण विकास परियोजनाएँ

xi) गंदी बस्ती (स्लम एरिया) का विकास

स्पष्टीकरण - इस मद हेतु, स्लम एरिया का अर्थ है कोई क्षेत्र/स्थान जो केंद्र सरकार अथवा कोई राज्य सरकार अथवा कोई अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा कोई भी कानून के अधीन कुछ अवधि के लिए इस शब्द के रूप में कहा गया हो ।

***

**परिशिष्ट ख**

बोर्ड रिपोर्ट में शामिल किए जानेवाले सीएसआर संबंधी कार्यकलापों के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट हेतु प्रपत्र

1. कंपनी की सीएसआर नीति एवं प्रोजेक्ट अथवा कार्यक्रम से संबद्ध वेब-लिंक के संदर्भ में तथा प्रारंभ किए जानेवाले प्रस्तावित प्रोजेक्टों /कार्यक्रम के पुनरावलोकन सहित सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा ।
2. सीएसआर समिति का गठन ।
3. पिछले तीन वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी का औसत निवल लाभ ।
4. निर्धारित सीएसआर व्यय (उक्त मद 3 में दर्शायी अनुसार राशि का दो प्रतिशत)
5. वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण
   क) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की जानेवाली कुल राशि;
   ख) अप्रयुक्त धनराशि, यदि कोई हो ;
   ग) वित्तीय वर्ष के दैरान व्यय की राशि का विवरण निम्नवत है

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6 | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रम सं. | सीएसआर प्रोजेक्ट अथवा चुनिंदा कार्यकलाप | क्षेत्र से संबंधित परियोजना | प्रोजेक्ट अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) प्रारंभ किए गए प्रोजेक्ट अथवा कार्यक्रम से संबंधित राज्य एवं जिला का विवरण | प्रोजेक्ट अथवा कार्यक्रमवार परिव्यय राशि (बजट) का विवरण | प्रोजेक्ट अथवा कार्यक्रम पर व्यय की गई राशि **उप शीर्ष** (1) प्रोजेक्ट अथवा कार्यक्रम के संबंध में प्रत्यक्ष व्यय (2) उपरि-व्यय | रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय | प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से व्यय की गई राशि |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| | **कुल** | | | | | | |

* कार्यान्वयन एजेंसी का विवरण प्रदान करें ।

6. यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों अथवा उनमें से कभी भी औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में असफल हुई है, तो कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में निर्धारित राशि को खर्च न करने के कारणों का उल्लेख करेगी ।
7. सीएसआर समिति का उत्तरदायित्वपूर्ण कथन कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन एवं निगरानी का कार्य कंपनी की नीति एवं सीएसआर उद्देश्यों के अनुपालन के अनुरूप है ।

| | | |
|---|---|---|
| हस्ता/-<br>(मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक) | हस्ता/-<br>(अध्यक्ष, सीएसआर समिति) | हस्ता/-<br>(उक्त अधिनियम की धारा 380 की उप धारा (1) के खंड (डी) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्ति)<br>(जहाँ लागू हो) |